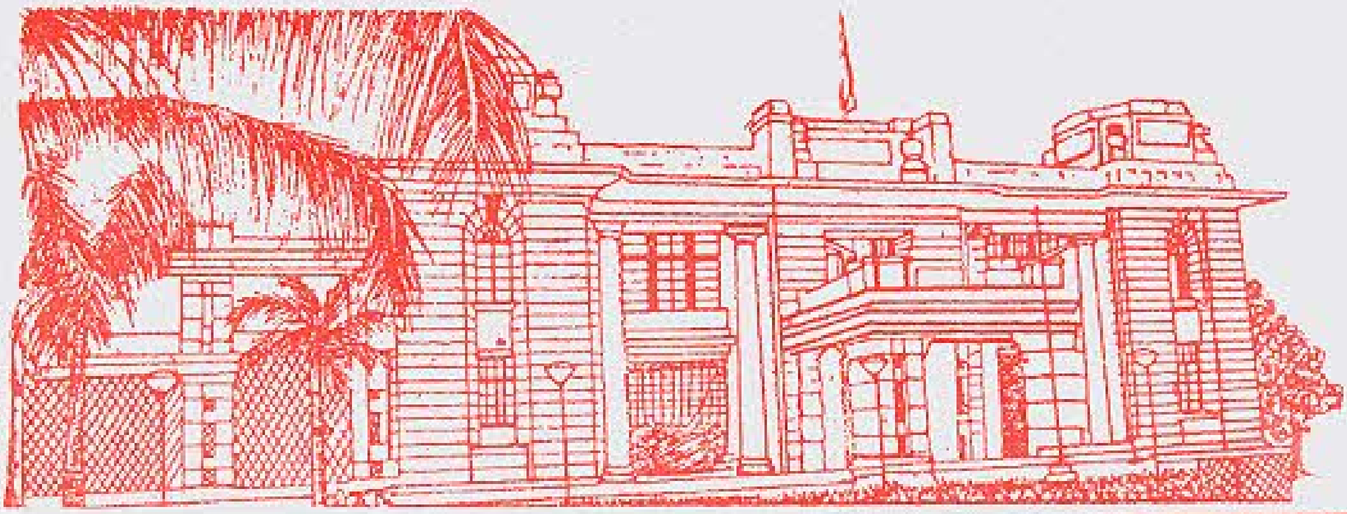

बिहार विधान परिषद — दैनिक विवरणिका

संख्या- 22 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बृहस्पतिवार, दिनांक 30.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.00 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। इसपर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे। आसन से कहा गया कि हो गया, बात हो गई।

2. आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई खबर के संबंध में माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा कार्रवाई की मांग की। प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी ने भी अपनी बातें रखीं तथा उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की। इसपर आसन से माननीय सभापति महोदय ने कहा कि ठीक है, इसको देखते हैं। आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। इसके बाद सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विरोधी दल के माननीय नेता, श्री सुशील कुमार मोदी तथा माननीय सदस्य, श्री

रजनीश कुमार ने भी अपनी बातें रखीं। आसन से यह नियमन दिया गया कि इन बातों का मैंने संज्ञान लिया और जरूरत पड़ेगी तो आचार समिति को मामला दूंगा। अगर ऐसा है, तो दुखद घटना है। जितनी महिला माननीय सदस्या हैं, सबलोगों के साथ बैठकर हमलोग इसपर बात करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कार्यकाल को कलंकित नहीं होने दूंगा।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-130, ब-160 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 246, 247, 249, 250, 251, 252 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 248, 253, 254, 255, 256 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- ब-160 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जांच के दौरान माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- ब-239, ब-244, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 514 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- अ-206, 508 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या– 509, 513 व्यपगत हुए।
प्रश्न संख्या– 515, 521, 523 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 516, 517, 518, 519, 520, 522 अनागत हुए।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ने आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि अनुमति नहीं दी गई है। नई परंपरा शुरू नहीं करें, इसपर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आए तथा जोर-जोर से बोलने लगे। जबकि माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी अपने स्थान पर बैठे रहे।

5. औपचारिक कार्य

1. **विधान सभा से प्राप्त विधेयकों को सदन की मेज पर रखा जाना**

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29.3.2017 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गए-

1. बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017
2. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन)विधेयक, 2017
3. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

2. प्रो. नवल किशोर यादव, अध्यक्ष, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति द्वारा समिति के 195वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

यथावत् सदन वेश्म से नारेबाजी होती रही। अंततः आसन से माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

6. राजकीय विधेयक

1. **बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

(तद्परांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन)विधेयक, 2017**

श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

7. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह एवं श्री उपेन्द्र प्रसाद द्वारा गैर न्यायिक मुद्रांक विक्रताओं के लिए रोजगार के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान ने वक्तव्य दिया।

वक्तव्य आरंभ होते ही विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गए और वक्तव्य समाप्त होने के उपरांत सदन में लौट आए।

16(क) माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा सीतामढ़ी जिले में ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अधवारा रिवर प्रोजेक्ट के लिए कराये गये कार्यों के बदले राशि के भुगतान में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

8. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद के विधायक अनुशंसित योजना के क्रियान्वयन से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

राजकीय विधेयक

3. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर पर माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ने दो संशोधन प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(तदुपरांत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसका उत्तर माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

ध्यानाकर्षण

2. माननीय सदस्य, डा. रणवीर नंदन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2017 को सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में घनघोर ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा बेगूसराय जिले में बाढ़ एवं अग्नि आपदा में मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री हरिनारायण चौधरी द्वारा समस्तीपुर नगर परिषद् में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हज़ारी ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा राज्य के नक्सल प्रभावित जिले में प्रतिनियुक्त बिहार पुलिस बल को केन्द्रीय बल के समरूप सुविधा देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह 'कुशवाहा' द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर द्वारा बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री रामविचार राय ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री से आग्रह है कि संचिका को मेरे पास लाईए, बहुत-सी शिकायते हैं।

9. औपचारिक कार्य

श्री लाल बाबू प्रसाद, अध्यक्ष, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 229 के अंतर्गत समिति का अंतरिम प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया।

10. अनौपचारिक कार्य

माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी की श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भोजशाला में दैनिक वेतन भोगी कार्यरत कर्मियों की स्थायी नियुक्ति से संबंधित शून्यकाल की सूचना पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजय प्रकाश ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि नियमावली अपनी जगह पर है, कुछ मानवतावादी भी चीज होती है। माननीय मंत्री, संचिका मंगवाकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके करा दीजिए।

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

ध्यानाकर्षण

8. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में चक्षु बैंक सहित अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजय प्रकाश ने वक्तव्य दिया।

9. माननीय सदस्य, श्री सूरजनन्दन प्रसाद द्वारा सम्पतचक (पटना) के आशोचक ग्राम निवासी श्री धीरेन्द्र कुमार की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्ति दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन मोहन झा ने वक्तव्य दिया।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

2. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के वैशाली जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती कुमार मंजू वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि यह गंभीर मामला सदन में आया है और माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं,

आप किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करा दीजिए जिससे न्याय मिल जाए। इसपर माननीय सदस्य ने डी.डी.सी. से जांच कराने का अनुरोध किया जिसे माननीय मंत्री ने आसन के निदेश पर स्वीकार किया।

11. आसन की सूचना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचना दी कि अभी विधान सभा से पारित होकर चार विधेयक और आनेवाले हैं, जिन्हें आज ही लिया जाना है, इसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 4.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई।

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

12. औपचारिक कार्य

विधान सभा से प्राप्त विधेयकों को सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30.3.2017 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गए-

1. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017
2. बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय अनियमितताओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017
3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
4. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

राजकीय विधेयक

1. **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर पर माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किए।

(तदुपरांत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(तदुपरांत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

3. **बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017**

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

4. **बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय अनियमितताओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय अनियमितताओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय अनियमितताओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

13. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह

2. डॉ. रामवचन राय
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री सतीश कुमार
5. श्री दिनेश प्रसाद सिंह
6. श्रीमती मनोरमा देवी
7. श्री सोने लाल मेहता
8. प्रो. नवल किशोर यादव
9. श्री संजय प्रकाश
10. श्री राधाचरण साह
11. श्री हरीनारायण चौधरी

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 31.3.2017 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

30/3/2017

(सुमीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 475 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 30.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
30-03-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्